

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 117B/2016-17

लालो महतो बनाम युधिष्ठिर महतो

:: आदेश ::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
--------	---------------------------------	-----------


9.10.2017

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 888 दिनांक 31.12.2016 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 117 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता लालो महतो, पिता-स्व० दुर्योधन महतो, ग्राम-भण्डारीसाई, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावों ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता युधिष्ठिर महतो, पिता-बुधी महतो, ग्राम-हेरमा, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावों को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	खेसरा न०	रकबा
भण्डारीसाई	347	90	1081	31 डी०

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 3.66.25 एकड़ जमीन है, जिसमें से 31 डी० भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.35.25 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 31 डी० भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।


 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
 सरायकेला।